

11-8-2020

पत्रावली पेशा हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी ओबारांम घांची पुत्र धन्नाराम घांची, जाति- घांची, निवासी- जोलपुर रोड, दरगाह के पास, रेवदर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, श्री राम जनरल स्टोर, मारुति शोरूम के सामने, रेवदर उपस्थित। प्रतिवादी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 14.10.2019 को जिस रबडी (चोको रिच) का नमूना जांच के लिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने लिया था जो जांच रिपोर्ट में
.....लगतार



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व दिनांक अहकाम जो का हुकम की तामिल में जारी हुए
	<p>सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। वह मेरी फर्म श्री राम जनरल स्टोर, रेवदर से जांच के लिये खरीदा था वह कम्पनी द्वारा बना एवं पैकिंग अवस्था में ही लिया था। मेरे पास इसका खरीद बिल गुम हो गया है। भविष्य में बिल सहित माल विक्रय करेगा। इसमें मैं मेरी गलती स्वीकार करता हूँ इसलिये मुझे इस प्रकरण से मुक्त करावे।</p> <p>प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा उक्तानुसार गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने अमानक खाद्य पदार्थ रबडी (चोको-रिच ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी ने उक्त जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह व्यक्त किया कि वह छोटा व्यापारी है एवं भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करेगा। यह उसका प्रथम अपराध है, इसलिये कम जुर्माना आरोपित कर प्रकरण का निस्तारण करावे।</p> <p>हमने सुनी गई बहस पर मत्न किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 14.10.2019 को प्रतिवादी ओबाराम की फर्म श्री राम जनरल स्टोर, पुराने पेट्रोल पम्प के पास, मारुति शोरूम के सामने, रेवदर में प्रतिवादी ओबाराम से खाद्य पदार्थ रबडी (चोको-रिच ब्राण्ड) के 4 पैकड पैकेट (प्रत्येक 175 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ रबडी (चोको-रिच ब्राण्ड) के नमूने को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./812/Act/2019/923 दिनांक 06.11.2019 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी ने उक्त खाद्य पदार्थ के क्रय का बिल प्रस्तुत नहीं किया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ओबाराम ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ रबडी (चोको-रिच ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत प्रतिवादी ओबाराम घांची पुत्र धनराम घांची, जाति- घांची, निवासी- जोलपुर रोड, दरगाह के पास, रेवदर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, श्री राम जनरल स्टोर, मारुति शोरूम के सामने, रेवदर, जिला- सिरौही पर</p> <p style="text-align: right;">..... लगातार</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No:16/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
	<p>राशि रुपये 12,000/- (अक्षरों रुपये बारह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी ओबारास घांची पुत्र धनाराम घांची, जाति- घांची, निवासी- जोलपुर रोड, दरगाह के पास, रेवदर, जिला- सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 26.8.2020 को पेश हो।</p> <p>(गितेश श्री मालवीया) न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही</p>	